(वाद संख्या–1040-4-23/2020)

08.09.2020

दिनांक–17.06.2020 के आदेश के आलोक में श्री महंत स्वरूप, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), श्री केशव प्रसाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), रोहतास (सासाराम), उपस्थित हैं।

उपस्थित उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोग को सूचित किया गया कि स्व0 जगदीश ठाकुर, से0 नि0 क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास (सम्प्रति–मृत) के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या–MFP/EDN-7168 में संचित राशि के भुगतान की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उपरोक्त सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में स्व0 ठाकुर द्वारा क्रमशः दिनांक–01.04.1961 से 11.05.1966 तक एवं 14.05.1960 से 31.03.1961 तक की विवरणी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली तथा दिनांक–22.12.1977 से दिनांक–26.03.1982 तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मुजफ्फरपुर से उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उक्त अवधियों को छोड़कर शेष अवधियों का स्व0 ठाकुर के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में संचित राशि का भुगतान **(1,35,027/–रूपये)** परिवादी के बैंक खाता में किया जा चुका है।

उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया कि उपरोक्त कथित अवधियों के अनुपलब्ध विवरणी को प्राप्त करने हेतु उनके स्तर से कार्रवाई की जा रही है तथा ज्यों ही उपरोक्त अवधियों की अनुपलब्ध विवरणी प्राप्त हो जायेगी परिवादी (स्व0 जगदीश ठाकुर की पत्नी) को अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा समस्त राशि का भुगतान कर दिया जायगा। इसके लिए उनकी ओर से एक युक्तिसंगत समय की याचना की जा रही है।

Bihar Human Rights Commission, Patna

संचिका दिनांक–06.01.2021 को सुनवाई हेतु सुनिश्चित की जाती है तथा दोनों पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त तिथि को स्व0 ठाकुर के उपरोक्त सामान्य भविष्य निधि लेखा में संचित समस्त राशि का भुगतान उनकी पत्नी (परिवादी) को किया जाना सुनिश्चित करें तथा इस भुगतान के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित रहें।

आज दोनों पदाधिकारियों की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें अलग से नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को भेजी जाय साथ ही साथ परिवादी को भी सूचनार्थ आदेश की प्रति भेज दी जाय।

दिनांक–06.01.2021 को संचिका उपस्थापित किया जाय।

(उज्जवल कुमार दुबे)
सदस्य।

सहायक निबंधक

Bihar Human Rights Commission, Patna